1	2	3	4	5	6
3.	मानव निर्मित फा० वस्त्र	597.71	1875.32	681.71	2138.88
4.	रेशमी वस्त्र	242.71	761.52	270.53	848.80
5.	ऊनी वस्त्र	151.11	474.11	157.85	495 26
6.	हस्तशिल्प	1128 51	3540.70	1229.10	3856.36
7.	पटसन	95.62	300.00	105.18	330.00
8	कयर	13.24	135.66	47.56	149.23
		8073.85	25331.77	8999.23	28235.44

(ख) तथा (ग) निर्यात लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। 1992-93 से 1994-95 के दौरान वस्त्रों के निर्यात के लिये निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं –

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1992-93	6349	6599.62
1993-94	7400	7973.91
1994-95 (फरवरी,95 तक)	9000	8999.23

वस्त्रों, (कयर, पटसन तथा हस्तशिल्पों सहित) के निर्यात के लिये वर्ष 1995-96 के लिये 10.5 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

गुजरात से वस्त्रों का निर्यात

4465. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात से कितनी मात्रा में वस्त्रों का निर्यात किया गया और रुपये तथा डालर के रूप में उनका मूल्य कितना था तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था,

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गुजरात के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिये वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्त-शिल्प, पटसन तथा कपास सहित वस्त्रों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार थी:–

	(मिलियन अमरीकी डालर)
1992–93	6599.62
1993–94	7973.91
1994–95 (फरवरी, 95 तक)	8999.23

(ग) गुजरात सहित भारत से वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार कई कदम उठा रही है जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में निर्यातकों को भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना । निर्यात उत्पादन के लिये रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देना, निर्यात उत्पादन के लिये कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात करने के लिये विशेष व्यवस्था करना । निर्यात ऋण की बढी हुई उपलब्धता आदि सुनिश्चित करना, आदि ।

Increase in Market Development Assistance

4466. SHRI HIPHEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 332 given in Rajya Sabha on 14th March, 1995 and State:

(a) Whether the increase in Market Development Assistance will help the handloom Weavers and their societies in any way;

(b) If so, the details thereof;

(c) Whether Government propose to take some steps ensuring betterment of Weavers through this scheme; and

(d) If so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) With reference to amendment in the guidelines of Market Development Assistance Scheme (MDAS), the following assistance would be available to the Primary Societies:

(i) Primary Handloom Cooperative Societies would not be eligible for MDA at the rates which are higher than the previous rates.

(ii) All Primary Handloom Co-op. Societies irrespective of the fact whether these are availing cash credit or not would henceforth be eligible for MDA.

(iii) Withdrawal of erblock option earlier exercised by each State Govt. and Union Territory would now bring more and more Primary Handloom Cooperatives under the coverage of the scheme.

(iv) Even now Primary Handloom Cooperative Societies which have been formed after 1988-89 would be eligible for MDA if they fulfill the other eligibility conditions. In view of the modification in the guidelines of the scheme of MDA scheme in respect of Primary Handloom Weavers Coop. Societies the weavers would be benefitted in the following manner:

(a) The weavers will gradually like to come under the fold of cooperative societies since the Primary Handloom Cooperative Societies would now have wider coverage under the scheme.

(b) The Primary Handloom Coop. Societies would now diversify their sale of products.